

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

प्रशासन अनुभाग



सं.मानू/प्रशासन/मि.120/2022-23/107

12 अक्टूबर, 2022

कार्यालय आदेश

विषय : मानू - प्रशासन - तत्काल प्रभाव दिनांक 01.07.2022 से संशोधित दरों पर महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में - आदेश जारी।

संदर्भ : 1. यूजीसी परिपत्र सं.एफ-एन67-3/2021(सीयू) दिनांक 07 अक्टूबर 2022

2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.10.2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं.1/3/2022- ई.11 (बी)

3. दिनांक 11.10.2022 को कुलपति द्वारा अनुमोदित।

\*\*\*\*

सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन पा रहे मानू के कर्मचारियों को, महँगाई भत्ता 34 % की मौजूदा दर से 38% की बढ़ी हुई दर पर तत्काल प्रभाव दिनांक 01 जुलाई, 2022 से भुगतान हेतु अनुमोदित किया गया है, जो कि भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त संदर्भ पत्र के अंतर्गत उद्धृत कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित है।

#आदेशानुसार#

कुलसचिव

वित्त अधिकारी(संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)

सभी अध्ययन संकायों के डीन  
सभी विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक)/ केन्द्र/ डीडीई  
सभी अनुभाग अध्यक्ष/ प्रभारी (गैर-शैक्षणिक)  
पॉलिटिकनीक, आईटीआई एवं मॉडल स्कूल

प्रति :

1. कुलपति/सम-कुलपति/ कुलसचिव/वित्त अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय
2. निदेशक डीडीई/ परीक्षा नियंत्रक
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. उर्दू अनुवाद हेतु उर्दू अधिकारी/ हिन्दी अनुवाद हेतु हिन्दी अधिकारी
5. संबंधित फाइल